www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 31.01.2017

सरकारी खजाने को 2.97 लाख रू. की हानि पहुँचाने पर एम.टी.एन.एल. के एक कर्मी व पॉंच प्राइवेट व्यक्तियों को सजा सुनाई

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली ने सरकारी खजाने को हानि पहुँचाने पर एम.टी.एन.एल. ईदगाह एक्सचेन्ज के तत्कालीन संचालक श्री तेज सिंह को 20,000 रू. के जुर्माने सहित 02 वर्ष की कठोर कारावास एवं संजीव कुमार, अश्वनी कुमार, सुदेश कुमार, रामकुमार एवं नवीन कुमार (सभी प्राइवेट व्यक्ति) को 10,000 रू. के जुर्माने सहित 01 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने दिनांक 23.06.1997 को वर्तमान मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि एम.टी.एन.एल., ईदगाह एक्सचेन्ज, नई दिल्ली के तत्कालीन संचालक आरोपी तेजवीर सिंह ने प्राइवेट व्यक्तियों के साथ षड़यंत्र में मुनाफे हेतु एम.टी.एन.एल. टेलीफोन लाइन को प्राइवेट पी.सी.ओ. को डायवर्ट (Divert) कर दिया। सरकारी खजाने को 2.97 लाख रू. (लगभग) की कथित हानि हुई। जॉंच के पश्चात, उक्त आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध दिल्ली की नामित अदालत में दिनांक 15.12.1999 को आरोप पत्र दायर किया।

विचारण अदालत ने आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।

****